न्यायालय जिला कलक्टर,बाडमेर

पीठासीन अधिकारी—श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 83/2016

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेंट्स
1.चेतनराम पुत्र राजूराम 2.भीखाराम पुत्र राजूराम 3.भूरी पत्नि राजूराम 4.हडमानराम पुत्र सोनाराम 5.करनाराम पुत्र सोनाराम 6.खेराजराम पुत्र सोनाराम जाति जाट निवासी हनुमान सागर(आदर्श चवा) तहसील बाड़मेर		1.पदमाराम पुत्र धन्नाराम 2.बाबूलाल पुत्र धन्नाराम 3.गेनाराम पुत्र धन्नाराम 4.माडूदेवी पत्नि धन्नाराम 5.फुआराम पुत्र टीकमाराम 6.लाभूराम पुत्र टीकमाराम 7.खेताराम पुत्र टीकमाराम 8.खेताराम पुत्र बींजाराम 9.पदमाराम पुत्र चोखाराम 10.खीयाराम पुत्र चौखाराम 11.गोरधनराम पुत्र चौखाराम 12.हरजीराम पुत्र रूपाराम 13.डूंगराराम पुत्र कोहलाराम 14.खुमाराम पुत्र कोहलाराम 15.अचलाराम पुत्र कोहलाराम 16.ठाकराराम पुत्र कोहलाराम जाति जाट निवासी हनुमान सागर(आदर्श चवा)तहसील बाड़मेर 17.तहसीलदार,बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनाक 30.05.2016 द्वारा तहसीलदार,बाड़मेर

उपस्थितः—1.श्री बालाराम गोदारा अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से।
2.श्री सुनील के.मेराजा अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03,05 से 07 व 09 से 16 की ओर से।
3.श्री सोहन दवे राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 17 की ओर से।
4.रेस्पोडेंट संख्या 04 व 08 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 16.05.2018

1. संक्षेप में अपीलांट की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स एंव रेस्पोडेंट संख्या 01 से 16 के पैतृक खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1249 रकबा 29.05 बीघा व खसरा नम्बर 1309 रकबा 37.05 बीघा कुल रकबा 66.10 बीघा मौजा हनुमान सागर पटवार क्षेत्र आदर्श चवा में आये हुए है। अपीलांट्स एंव रेस्पोडेंट संख्या 01 से 16 ने अपनी उक्त पैतृक खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से

जिला कलक्टर
बाड़मेर

विभाजन करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया।जिस पर तहसीलदार बाड़मेर ने बाद जॉच अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2016 द्वारा पक्षकारान की आपसी सहमति का प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर दिया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट्स ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की। अपीलांट्स ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर मियाद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांट्स ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र भी पेश किया गया।

2. हमने अपील अपीलांट्स दर्ज रजिस्टर कर,रेस्पोडेंट्स को सम्मन किये एंव अपीलाधीन पत्रावली तलब की।

3. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलांट्स व रेस्पोडेंट संख्या 01 से 16 की पैतृक खातेदारी भूमि मौजा हनुमान सागर पटवार क्षेत्र आदर्श चवा के खसरा नम्बर 1249 रकबा 29.05 बीघा व खसरा नम्बर 1309 रकबा 37.05 बीघा कुल रकबा 66.10 बीघा आये हुए है। इसी आराजी को पक्षकार आपसी सहमति से मौके पर विभाजन कर काश्त करते आ रहे है तथा अपने अपने हिस्से में आवासीय ढाणीयां बनी हुई है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट व रेस्पोडेंट्स संख्या 01 से 16 के मध्य पूर्व में हुए बाहाजी बंटवाड़े के अनुसार नहीं किया गया है तथा नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके पर कब्जा काश्त में भारी भिन्नता है उन्होने तर्क दिया कि खसरा नम्बर 1309 मे हमे जो भूमि दी, वह डामर रोड से लगती हुई नहीं है न ही हमारे हिस्से की जमीन में आने जाने के लिये रास्ता दिया गया है। इसलिये विभाजन प्रस्ताव के साथ बनाया गया नक्शा मे खसरा नम्बार 1309 में अपीलांट के हिस्से की खातेदारी से कटान रास्ते तक रास्ता उपलब्ध कराया जाए। मियाद के सम्बन्ध मे उनका यह तर्क कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2016 की पालना में नामान्तरकरण पारित होने एंव लठ्टा ट्रेस में अलग अलग तरमीम होने से इसकी जानकारी अपीलांट को नहीं हुई। रेस्पोडेंट ने अपीलांट के कब्जे काश्त वाली भूमि को खाली करने का कहा, तब अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश की नकल मांगी जो दिनांक 05.08.2016 को प्राप्त हुई। जिससे जानकारी तिथि से अपील अंदर मियाद है। अपीलांट्स के वकील नें अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर, रास्ता दिलाने का निवेदन किया।

4. इसके जवाब में रेस्पोडेंट्स के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स ने अपनी संयुक्त खातेदारी की भूमि आपसी सहमति से बंटवाड़ा पेश

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
बाड़मेर

किया जिस पर अपीलांट्स के अंगुष्ठ निशान है।समस्त खातेदारान ने तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष उपस्थित होकर अपने अंगुष्ठ निशान/हस्ताक्षर कर प्रार्थना पत्र पेश किया है। अपीलांट्स ने इस पर सहमति दी है। पटवारी हल्का की मौका जॉच एंव मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तहसीलदार बाड़मेर ने विभाजन आदेश स्वीकृत किया है जो सही एंव उचित है। आपसी सहमति से पारित विभाजन में दोनो पक्षों को अपनी अपनी भूमि में आने जाने के निये रास्ता रखा गया है इसके बावजूद यदि रास्ता नहीं है तो हम रास्ता देने के लिये तैयार है। मियाद के सम्बन्ध में उनका तर्क है कि अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान था अपीलांट ने अपील दो वर्ष बाद पेश की है, जो स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है। इसलिये अपीलांट् की अपील खारिज की जाए।

5. हमने दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली, उस पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट्स ने यह अपील तहसीलदार,बाड़मेर द्वारा बंटवाड़ा आदेश दिनांक 30.05.2016 को स्वीकृत करने के विरूद्ध पेश की है। मौजा हनुमान सागर पटवार क्षेत्र आदर्श चवा के खेत खसरा नम्बर 1249 रकबा 29.05 बीघा व खसरा नम्बर 1309 रकबा 37.05 बीघा कुल रकबा 66.10 बीघा अपीलांट्स व रेस्पोडेंट संख्या 01 से 16 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। अपीलाधीन पत्रावली के अवलोकन से अपीलांट एंव रेस्पोडेंट्स ने अपनी इस पैतृक खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया। इस प्रार्थना पत्र पर अपीलांट्स एंव रेस्पोडेंट के अंगुष्ठ निशान/हस्ताक्षर है। पहिचानकर्ता पटवारी हल्का चवा ने पहचान दी है। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.2016 पक्षकारों की आपसी सहमति पर आधारित है। आपसी सहमति से किये गये विभाजन के बाद अपीलांट्स सहमति से इंकार नहीं कर सकते। अतः सहमति के आधार पर तहसीलदार बाड़मेर ने चौसाला जमबांदी, नक्शा मे दर्शाये अनुसार एंव मौके अनुसार सह खातेदार काबिज होने के अनुसार विभाजन प्रस्ताव सही होने से अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2016 द्वारा विभाजन प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है, इसमें कोई वैधानिक त्रुटि एंव अनियमितता प्रतीत नहीं हुई है। अपीलांट्स का मुख्य कथन है कि उन्हे विभाजन में दी गई भूमि में आने जाने हेतु रास्ता नहीं दिया गया है। इसलिये रास्ता दिलाया जाए। रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने रास्ता उपलब्ध नहीं होने पर, रास्ता देने में सहमति व्यक्त की है। अतः तहसीलदार,बाड़मेर को निर्देश दिये जाते है कि वादग्रस्त भूमि कीं मौके की स्थिति का स्वंय निरीक्षण करें और बंटवाड़ा आदेश दिनांक 30.05.2016 के

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अनुसार यदि मौके पर पक्षकारान को दी गई भूमि में रास्ता उपलब्ध नहीं है,तो रास्ता दिलाने हेतु नियमानुसार विधिवत प्रकिया अपनाते हुए रास्ता दिलाये जाने की कार्यवाही करें।

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 16.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर